संख्या-1/1165 /अइतीस-9-13-04(नियम)/2013 टी0सी0

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उ0प्र0 प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनउ: दिनांक-18 नवम्बर, 2013

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिये जाने से पूर्व निम्न चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कराने का कष्ट करे-

(1)- शिक्षण संस्था की मान्यता सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त किये जाय ।
(2)- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय।
(3)- वही शिक्षण संस्थायें/विद्यालय पात्र होंगे, जिनके 03 बैचेज पास-आउट **Pass-out** हो चके हों अर्थात विद्यालय अपने **Optimum Level** पर **Functional** हो।
(4)- शिक्षण संस्था के प्रस्तावित कार्यों हेतु माडल प्राक्कलन के अनुसार आगणन गठित किये जाय।
(5)- प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाय।
(6)- प्रस्तावित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक निरीक्षण आख्या प्राप्त की जाय।
(7)- प्रस्तावित स्थल के रंगीन फोटोग्राफ प्राप्त किये जाय।
(8)- पंजीक्रत छात्रों का कक्षावार एवं वर्गवार विवरण प्राप्त किये जाय।
(9)- पूर्व निर्मित कक्षों एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित कक्षों के प्रमाणित विवरण प्राप्त किये जाय।
(10)- प्रस्तावित स्थल के चौहददी के विवरण (पूर्व निर्मित एवं प्रस्तावित कक्षों के प्लान में अंकित संख्या का विवरण) रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर एफीडेबिट सहित प्राप्त किया जाय।
(11)- शिक्षण संस्था को पूर्व में सांसद एंव विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के वर्ष वार विवरण प्राप्त किये जाय।
(12)- शिक्षण संस्था के बैंक खाता एवं विद्यालय के वाइलाज के अनुसार संचालन हेतु प्राधिकारियों के विवरण प्राप्त किये जाय।
(13)- अन्य विवरण प्राप्त किये जाय।

2- यह भी अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तावों की स्वीकृति दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-1165(1) /अइतीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

unicode GO